के.जी.नवल लि. बनाम् भारत संघ वगैरा।

(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या-5790/1999)

18.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री पी.के. कासलीवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।

श्रीमती परिणितू जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षीगण ।

प्रार्थी की इस रिट याचिका में एकमात्र व्यथा यह है कि उसके द्वारा जो अभ्यावेदन 4.9.1999 (प्रदर्श-4) प्रस्तुत किया गया था, उसका आयुक्त, आयकर विभाग, अजमेर द्वारा अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने एवं अभिलेख का अनुशीलन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि प्रार्थी उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक- 4.9.1999 (प्रदर्श-4) का शीघ्र निस्तारण कराने का अधिकारी है।

अत: यह रिट याचिका निस्तारित करते हुए आयुक्त, आयकर विभाग, अजमेर को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 4.9.1999 (प्रदर्श-4) का सम्पूर्ण निस्तारण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने से 30 दिवसों के भीतर-भीतर, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए, आवश्यक रूप से कर देगें। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या0 शिव कुमार शर्मा)